अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 6 /2014

रिज़वान अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजनवरी 31 ,2014

विषय- व्यवसायिक बैंकों/वित्त पोषकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु अवैध रूप से जनशक्ति (Recovery Agents)का प्रयोग रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अद्यतन निर्णय अनूप शर्मा बनाम भोला नाथ शर्मा एवं अन्य 2013(1)SSC पेज 400 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैः-

"Purchaser remains merely a trustee/bailee on behalf of financier/financial institution and ownership remains with latter-Thus, in case vehicle is seized by financier, no criminal action can be taken against him as he repossessing goods owned by him-There is no cogent reason to interfare with impugned judgment and order-Contract Act, 1872-S.148-Penal Code, 1860, Ss.378 and 403.

The Purchaser remains merely a trustee/bailee on behalf of financier/financial institution and ownership remains with latter-Thus, in case vehicle is seized by financier, no criminal action can be taken against him as he repossessing goods owned by him. We do not see any cogent reason to interfere with the impugned judgment and oreder "

इस मुख्यालय से निर्गत परिपत्रों अर्द्ध0शा0परिपत्र संख्याःडीजी-43/2013 दिनांक-05.08.2013 व अर्द्ध0शा0परिपत्र संख्याःडीजी-50/2013 दिनांक-13.09.2013 में दिशा-निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र संख्याःडीजी-43/2013 दिनांक-05.08.2013 तथा अर्द्ध0शा0परिपत्र संख्याःडीजी-50/2013 दिनांक-13.09.2013 को अतिक्रमित करते हुए सन्दर्भित विषयों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही हेतु एतद् द्वारा निम्न निर्देश दिये जाते हैः-

- फाइनेन्स कम्पनी अगर उनके द्वारा फाइनेन्स किये गये वाहन को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के मूल भावना के अनुरूप एवं RBI Cricular No 286/03.10. 042/2012-13 जुलाई 2012 के द्वारा निर्धारित Fair Practiced Code के अनुरूप सीज करने की कार्यवाही करती है तो यह किसी आपराधिक कृत्य के दायरे में नहीं आयेगा।
- अतःयदि कोई financier/financial institution वाहन के जब्तीकरण के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय, ARBITRAL TRIBUNAL आदि से वाहन जब्तीकरण हेतु पुलिस सहायता सम्बन्धी आदेश लेकर आता है तो सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व्यय सहित पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे।
- यदि फाइनेन्सर या उनका प्रतिनिधि RBI Cricular No-286/03.10. 042/2012-13 जुलाई 2012 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मूल भावना के अनुरूप जब्तीकरण (सीजर की) की कार्यवाही न करते हुए प्रतिकूल रूप से आचरण कर रहा है, तो financier/financial institution के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर विधिक कार्यवाही करेगा।

भवदीय,

31/1/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि(मा0न्यायालय के आदेश व आर0बी0आई0 के सर्कुलर)।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।